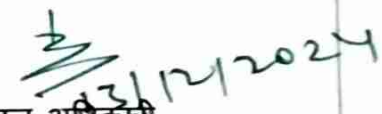


आदेश की क्र०स० एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर कार्यवाई की दिनांकी सहित
1	2	3
13/12/2024	अमिलेख उपस्थापित। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन का जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जांच प्रतिवेदन अंकित है कि “मौजा-सिलदिलीया खुर्द में जाकर राजस्व कागजात एवं नक्शा का मिलान करके अंचल अमीन के साथ स्थलीय जांच किया। जांच के क्रम में पाया कि गैरमजरूआ खास खाता सं०- 10, प्लॉट सं०-31 रकबा-0.30 ए० पर श्री मोहन सिंह वो गोविन्द सिंह पिता स्व० प्रगास सिंह के द्वारा भूमि का जोत-कोड व दखल में है। उनके द्वारा जांच के दौरान बंदोबस्ती पर्चा व राजस्व रसीद प्रस्तुत किया। जिससे पता चलता है कि अनुमण्डल पदाधिकारी के बंदोबस्ती वाद सं० 167/2002-03 के अन्तर्गत दिनांक 11.07.2002 को मौजा सिलदिलीया खुर्द थाना सं० 476 के अंतर्गत खाता सं०-10, प्लॉट सं०-31 रकबा 0.30 ए० भूमि की बंदोबस्ती उक्त रैयत श्री मोहन सिंह वो गोविन्द सिंह पिता स्व० प्रगास सिंह के नाम से हुआ है, जिसका जमाबंदी मौजा सिलदिलीया खुर्द के मांग पंजी II के पेज सं० 78/2 पर दर्ज होकर वर्ष 2004-05, 27.09.2004 एवं 2006-07 दिनांक 14.02.2007, 2008-09 दिनांक 19.09.2008, 2015-16 दिनांक 30.12.2015 तक रसीद निर्गत हो रहा है। अनुमण्डल पदाधिकारी का बंदोबस्ती पर्चा व राजस्व रसीद निर्गत व देखने से उक्त जमाबंदी वाद सं०-29 अवैध/संदेहास्पद प्रतीत नहीं होता है। अतः उक्त अवैध जमाबंदी वाद सं० 29/2016-17 से बाहर किया जा सकता है।” अतः अंचल अमीन, राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा समर्पित किए गए जांच प्रतिवेदन के आधार पर वाद की कार्यवाई <u>तुल्य</u> की जाती है। लेखापित एवं संशोधित।  अंचल अधिकारी, मनातू।  अंचल अधिकारी, मनातू।	

सेवा में

अंगल अधिकारी

मनाहू जिला-पलाश

विषय: अवैध/संदेहास्पद जमावंदी केस नं०

29/2016-17 का जॉय प्रिवेंशन के संबंध में

महोदय, उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि मौजा सिलरीलीमा खुर्द में जाकर राजस्व कागजात एवं नक्शा का मिलान करके अंगल अमीन के साथ स्थानीय जॉय बिना जॉय के काम में पाया कि औरमजदुमा खाश आता सू० 10 लॉट सू० 31 रकबा 0.30 एकड़ धाम पर मोहन सिंह को गोविंद सिंह पिता एक प्रजाप सिंह के द्वारा धाम का जोर कोट को देखल करवा में है। उनके द्वारा जॉय के दौरान वंदोवली पर्चा के राजस्व रसीद - प्रस्तुत किया। जिससे पता चलता है कि अनुमंडल पदा० ने वंदोवली वाट सू० 167/2002-03 के अनुराग दिनांक 11/07/2002 को मौजा सिलरीलीमा खुर्द शाना न० 476 के अनुराग आता सू० 10 लॉट सू० 31 रकबा 0.30 एकड़ धाम की वंदोवली उक्त रैमपू मोहन सिंह को गोविंद सिंह पिता एक प्रजाप सिंह के नाम दे हुआ है जिसका जमावंदी मौजा सिलरीलीमा खुर्द के मांग पजी II के धृष्ट सू० 78 II दर्ज होकर वर्ष 2004-05 27.09.2004 एवं 2006-07 दिनांक 14/11/07, 2008-09 दिनांक 19/09/2008, 2015-16 दिनांक 30/11/2015 से रसीद निकल होने कारण से अनुमंडल पदा० का वंदोवली पर्चा के राजस्व रसीद निकल को रखल करवा के देखने से उक्त जमावंदी वाट सू० 29 अवैध/संदेहास्पद माना नहीं होता है। अतः उक्त अवैध जमावंदी वाट सू० 29/2016-17 से बाहर किया जा सकता है।

क्षीमान का विस्वास्तमान

जयशंकर सिंह
अंगल अमीन मनाहू
12/12/2024


12/12/24
R.S.I